



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-28032024-253428
CG-OR-E-28032024-253428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1482]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र 7, 1946

No. 1482]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1946

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 25 मार्च, 2024

का.आ. 1563(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 'ए') द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचना करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	एमसीआरएल इनर कॉरिडोर चरण-I दोहरीकरण (10.93 किमी)	ओडिशा

[फा. सं. पूतरे/नि/भुवनेश्वर/एलए/एमसीआरएल चरण-I दोहरीकरण]

सुधीर कुमार परिदा, मुख्य अभियन्ता, (निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAYS
[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 25th March, 2024

S.O. 1563(E).— In exercise of the powers, conferred by Clause (37A) of Section-2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project as mentioned in column (2) of the table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1	MCRL Inner Corridor Phase-I Doubling (10.93 km)	Odisha

[F. No. ECoR/Con/BBS/LA/MCRL PH-I Doubling]

SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Engineer (Construction-III)